(2) शारीरिक रूप से विकलांग 7½%
(3) प्रतिरक्षा 7½%
(4) स्वतंत्रता सेनानी 5%
(5) खुली श्रेणी 55%

कुछ डीलरशिपों /डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सरकार द्वारा भी अनुकम्पा आधार पर संसद सदस्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सिफारिशों सहित प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पात्र मामलों में आवंटित की जाती है।

(घ) फिरहाल तेल चयन बोर्डों को सरकार द्वारा निम्नानुसार गठित किया गया है :—

(1) उच्च न्यायालय से एक अवकास प्राप्त न्यायाधीश — अध्यक्ष
(2) अनुसू० जा०/अनुसू जन जा०/अन्य कमजोर वर्गों का एक प्रति निधि — सदस्य
(3) एक सुविख्यात व्यक्ति — सदस्य

(ङ) जी हां।

(च) केवल आवश्यक चयन प्रक्रिया में समय लगता है जिसमें आवेदन पत्र आमंत्रित करना पात्रता मानदंड के अनुरूप आवेदन पत्रों की जांच करना, तेल चयन बोर्डों द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना, मूल्यांकन के उपरांत मैरिट पैनल को तैयार करना तथा आशय पत्र जारी करने के लिए संबद्ध तेल कंपनियों को तेल चयन बोर्ड द्वारा मैरिट पैनल अग्रेषित करना।

Decline in exploration in activities

2460. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Mini: ter of PETROLEUM AND NATURAL CAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a sharp fall in the exploration activities for crude and gas for public sector companies during the last two years while gap between domestic production and demand for petrolamn products it ingreasind and

(b) if so, what remedial steps are taken to increase the performance of Oil and Natural Gas Commission and Oil India Limited?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA); (a) There is no decrease in exploration activities. However, the gap bciween demand and indigenous production of crude is increasing.

(b) A number of short-term and medium-term measures have been taken by the Government, to augment indigenous crude production. These include.—

(i) development of new oil fields;

(ii) additional development of existing fields;

(iii) installation of early preduction systems wherever feasible;

(iv) use of new technology wherever possible.

उत्तर प्रदेश में एजेंसियों और खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने हेतु लम्बित प्रस्ताव

2461. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन कस्बों/गांवों के नाम क्या-क्या है जहां रसोई गैस, पैट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की खुदरा बिक्री तथा वितरण हेतु एजेंसी/केन्द्र खोलने के प्रस्ताव 30 दिसम्बर, 1993 तक की स्थिति के अनुसार विचाराधीन थे ; और

(ख) वितरण/बिक्री केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) तेल उद्योग द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए पिछली विपणन योजनाओं के लम्बित स्थानों तथा चालू विपणन योजनाओं में शामिल

364 खुदरा बिक्री डीलरशिपों, 35 एस के ओ–एल डी ओ की डीलरशिपों और 72 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए तेल चयन बोर्ड के माध्यम से डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन की कार्यवाही जारी है। तथापि लम्बित स्थानों का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन कार्य में गति लाने के लिए सरकार द्वारा राज्य/क्षेत्र वार तेल चयन बोर्ड गठित किए गए हैं। डीलरों के चयन का कार्य एक सतत प्रक्रिया है जो प्रगति पर है ।

राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन

2262. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को प्रतिमाह कितनी-कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल आबंटित किया जा रहा है और प्रत्येक राज्य की जनसंख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इस आबंटन के अनुसार राज्य-वार प्रति व्यक्ति औसतन कितनी मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है ;

(ग) राज्यों को दिए जाने वाले मिट्टी के तेल के आबंटन का मापदंड क्या है ;

(घ) राज्यों को दिए जा रहे मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति मात्रा में यदि कोई अंतर है तो उस के क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में कोई समानता लायी जायेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) मिट्टी के तेल का राज्य-वार, माहवार आबंटन संबंधी विवरण तथा प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल की उपलब्धता तथा राज्यवार जनसंख्या अनुबंध में दी गयी है । (**देखिए परिशिष्ट 170 अनुपत्र सं० 52**)

(ग) से (ङ) राज्यों को पूर्ववर्ती आधार पर मिट्टी के तेल का आबंटन करने के कारण देश में राज्य दर राज्य प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में भिन्नता है । मिट्टी के तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में बाधाओं तथा इसमें निहित भारी राज सहायता को देखते हुए गत दो वर्षों के दौरान मिट्टी के तेल के आबंटन को तकरीबन 1990–91 के समान स्तर पर कायम रखा गया था तथापि इस घरेलू ईंधन के महत्व को देखते हुए सरकार ने 1992–93 की अवधि पर 1993–94 के दौरान एस के ओ पर 3% की वृद्धि दी है । प्रति व्यक्ति कम उपलब्धता वाले राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक आबंटन करके विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्रा वितरित की गई है। ताकि विभिन्न राज्यों के मध्य अंतराल को पाटा जा सके । वर्ष 1994–95 के दौरान भी वर्ष 1993-94 पर जनसंख्या में वृद्धि आदि के कारण मिट्टी के तेल की बढ़ती हुई मांग के एक हिस्से को पूरा करने तथा इसका इस तरीके से वितरण करने के लिए कि प्रति व्यक्ति अपेक्षाकृत कम उपलब्धता वाले राज्यों को अधिक दिया जा सके, 3% की वृद्धि देने का प्रस्ताव है ।

सरकार ने निजी उद्यमियों को अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत मिट्टी के तेल का आयात करने तथा बाजार कीमत पर बेचने की अनुमति दे दी है जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

गोदावरी परियोजना में प्रगति

2263. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1994 को स्थिति के अनुसार गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गैस